



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।
(जिला राजस्व शाखा)

ac-giridih@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक 876 / रा0, गिरिडीह, गिरिडीह, दिनांक 10 / 04 / 2023

प्रेषक,

अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
तिसरी।

विषय :-

बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी रद्द संबंधी अभिलेखों का प्रेषण।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक 163 / सरिया, दिनांक 24.04.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि सरकार के मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 2074 / रा0 राँची, दिनांक 13.05.2016 एवं सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प संख्या-6144 / रा0 दिनांक 21.12.2017 के अनुरूप नियमानुसार जमाबंदी रद्द करने संबंधी स्पष्ट अनुशंसा नहीं रहने के कारण मूल अभिलेख वापस की जाती है :-

क्र0	अभिलेख सं0 एवं वर्ष	पक्षकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4
01	13/2018-19	अंचल अधिकारी, तिसरी बनाम् दसमतिया देवी	
02	14/2018-19	अंचल अधिकारी, तिसरी बनाम् बुधु मुर्मू	
03	15/2018-19	अंचल अधिकारी, तिसरी बनाम् मंझिला बास्के	
04	17/2018-19	अंचल अधिकारी, तिसरी बनाम् मंझिला बास्के	
05	18/2018-19	अंचल अधिकारी, तिसरी बनाम् सुखु किस्कु	
06	19/2018-19	अंचल अधिकारी, तिसरी बनाम् काशी साव	
07	20/2018-19	अंचल अधिकारी, तिसरी बनाम् यशोदा देवी	
08	21/2018-19	अंचल अधिकारी, तिसरी बनाम् यशोदा देवी	
09	22/2018-19	अंचल अधिकारी, तिसरी बनाम् मंगर महतो	
10	23/2018-19	अंचल अधिकारी, तिसरी बनाम् मसो0 सोहगी	
11	24/2018-19	अंचल अधिकारी, तिसरी बनाम् यशोदा देवी	

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

10/04/23

अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।

प्रतिलिपि :-

ज्ञापांक 876 / रा0 गिरिडीह, दिनांक 10 / 04 / 2023

अनुमण्डल पदाधिकारी-भूमि सुधार उप समाहर्ता, खोरीमहुआ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

10/04/23

अपर समाहर्ता,
गिरिडीह।

10-4-23